न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 23/2025 जीसीएमएस केस नम्बर 2025/257

उनवान

1. श्रीमति हस्तु पत्नि स्व. श्री उदा माली मृत्यु दिनांक 15.03.2010 (विलोपित)।
2. श्री रामचन्द्र पुत्र उदा माली मृत्यु दिनांक 14.07.2016 के बजाय–
   (1) श्री छोटु, (2) जडाव, (3) बाबूडी उर्फ बिरदी।
3. हजारी पुत्र उदा माली।
4. नानुराम पुत्र उदा माली।
5. जमना पुत्र उदा माली मृत्यु दिनांक 21.12.2021 के बजाय–
   (1)लाली, (2)रामेश्वर, (3)बबलू, (4)प्रेमी, (5)लाड वारिसान समस्त निवासीयान रायला, तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी बनेडा, जिला भीलवाडा जरिये राजस्थान राज्य।
2. बंशी पुत्र बालू माली मृतक के बजाय (1) जेतू, (2) दिलखुश ना.बालिग जरिये माता जेतू निवासीयान रायला।
3. शंकर लाल पुत्र नन्दराम बाहेती मृतक के बजाय (1)राजकुमार, (2)कैलाश, (3) सुशील कुमार, (4)प्रेम देवी, (5)गीता, (6)मंजू समस्त निवासीयान रायला तहसील बनेडा।
4. घीसा पुत्र पन्ना माली मृतक के बजाय (1)सीता, (2)देउ, (3)काली, (4)जस्सु समस्त निवासीयान रायला, तहसील बनेडा।
5. सोहन पुत्र पन्ना माली मृतक के बजाय– (1)नन्दा, (2)प्रेमी उर्फ बबली, (3)बबली पुत्री घीसा समस्त निवासीयान रायला, तहसील बनेडा।
6. बद्री पुत्र घीसा माली निवासी रायला, तहसील बनेडा।
7. श्रीमति मांगी पत्नि छोगा माली मृतक के बजाय– (1)काना, (2)सोहनी, (3)सोसर, (4) रामू, (5) लहरी निवासीयान रायला, तहसील बनेडा।
8. श्रीमति अलोली पत्नि चम्पा माली मृतक के बजाय– (1) नाथू, (2) भैरू, (3) बाली, (4) शंकर(मृतक)।
9. शंकर पुत्र चम्पा माली मृतक के बजाय–(1)प्यारी, (2)गोविन्द, (3) कैलाश, (4) रूकमा, (5) लाली निवासीयान रायला, तहसील बनेडा।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा, जिला भीलवाडा।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् प्रकरण संख्या 57/2022 हस्तु वगैरह बनाम बंशी वगैरह को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में हस्तांतरित करने हेतु

–: आदेश :–

दिनांक : 03/12/2025

1– पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम प्रार्थीगणों के पांच प्रकरण लंबित रहते हुये अप्रार्थी ने प्रभावित लोभित एवं भूमाफिया से सांठ गांठ करके हमारे प्रकरणों में विधि विरुद्ध कार्यवाही संपादित कर रहे है। उक्त प्रकरणों में समान पक्षकार समान अधिवक्ता होते हुये भी तीन प्रकरण में पेशिया दे दी और दो प्रकरणों को अदाम हाजरी में खारिज कर दी पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं की उपस्थिति में जबकि प्रतिवादीगण के अधिवक्ता किसी भी पेशी में उपस्थित रहते ही नहीं।

2– यह कि तीन–तीन, चार–चार बार के फर्दअहकाम नहीं लिखकर बादबैंकिंग कर अदम हाजिर अंकित कर और इस प्रकार तीन पेशियों की फर्दअहकाम को न लिखकर पक्षकारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

2– यह कि प्रार्थनापत्र विधिसम्वत पेश करने पर फेंक देते है और लेने से मना करते है जिसको हमने वीसी के वक्त दिनांक 21.08.2025 इससे पूर्व भी अनेक परिवेदनाएं इस संबंध में दी गई है आप श्रीमान को जन सुनवाई में परिवेदना दी। उक्त परिवेदना को और प्रस्तुत दस्तावेजों को फाईल में नहीं लगाते है और कहते है कि इस तरह कि बहुत शिकायते आती है और परिवेदना को उपखण्ड अधिकारी साहब शिकायत मानते है। कलेक्टर साहब की मार्किंग नहीं होने से उसे रिकोर्ड पर नहीं लेते है और कहते है कि मेरे पास ऐसे पत्र बहुत आते है और दिनांक 27.10.2025 को भी प्रार्थनापत्र एवं तलवाना फार्मों एवं समन को लेने से मना कर दिया जो स्वयं की निशादेही पर तामिल करानी थी। साथ ही तीन महिने में प्रतिलिपि नकल देते है तथा दो वर्षों से निरन्तर यह लिख रहे हैं कि टीडीआर रिपोर्ट मंगाई जावे जो नहीं मंगाई जाती है और स्वयं का इंट्रेस्ट होने पर पटवार इंस्पेक्टर तत्क्षण रिपोर्ट लेकर प्रस्तुत हो जाते हैं। ज्यों ही रिपोर्ट आती है हमें रिपोर्ट नहीं बताते है और हमारे वादों को बिना विधिक स्टेज के खारिज कर देते हैं। इस प्रकार से हमने सभी परिवेदनाएं कलेक्टर साहब के माध्य से दी है एवं उच्चाधिकारियों को भी परिवेदनाएं दी है इससे नाराज होकर हमारे समस्त प्रकरणों को खारिज कर रहे है। जिससे हम प्रार्थीगणों को आर्थिक मानसिक व शारिरीक संताप पहुंचा रहे है और हम गरीब काश्तकार है भूरसी संग्रहित करने के लिए कर रहे हैं हम गरीब पक्षकार भूरसी नहीं दे सकते है।

अतः हम प्रार्थीगणों के वाद को अधीनस्थ न्यायालय में स्थानान्तरित करवाने का निवेदन किया गया।

3– बाद जांच प्रकरण दिनांक 29.10.2025 को पजीबद्व किया जाकर अप्रार्थीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश। प्रार्थी ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि– प्रार्थीगण के प्र.सं. 57/2022 रे. वाद हस्तु/बंशी वगैरह, 03/2007 रामकुवार/घीसा वगैरह 72/2008 रामचन्द्र/सत्यनारायण वगैरह, 03/2019 हजारी/कैलाश वगै0, 108/2012 जमना/रामदेव, 160/2019 प्रा.पत्र जमना/रामदेव जैर कार्यवाही एस.डी.एम. साहब बनेडा में लम्बित दिनांक 05.08.2024 को पेशी नियत थी, एवं प्रार्थीगण संयुक्त परिवार के सदस्य होकर वाद कार्यवाही में अपने अधिवक्ता के मामले की प्रगति जानने के लिए उपस्थित रहते है। उक्त दिनांक 05.08.2025 को राजस्थान में जनमानस को वर्षा का रेड अलर्ट था एवं उक्त सम्बन्ध में अधिवक्तागण के संघ (बार एसोसिएशन) द्वारा कार्य स्थगन था जिससे हमें उपस्थित रहने के लिए दूरभाष पर कहा गया। प्रार्थीगण की उपस्थिति रहते हुए दो प्रकरण को खारिज कर दिया एवं तीन में पेशी दी गई, जबकि पांचो प्रकरणा में रामेश्वर आवश्यक पक्षकार है एवं उक्त दिनांक को अत्यधिक अनुनय विनय के पश्चात भी 108/2012 व 160/2019 रामदेव/जमना वगैरह खारिज कर दिया। यथार्थ में रामदेव व उसके अधिवक्ता उपस्थित थे ही नहीं। रूटीन में उपस्थिति दर्ज की गई। माननीय उपखण्ड अधिकारी निज तहसील में तहसीलदार एवं गृह जिले में SDM के पद पर स्थापित रहते हुए रिश्तेदारों, रसूखदारो, भूमाफियाओं, दलालो, नेताओ से प्रभावित, प्रलोभित होकर सांठ गांठ कर हमारे प्रकरणों में पूरी तरह से विधि विरूद्ध कार्यवाही चेलेंज करके कर रहे है जो हमारे प्रति अन्यायपूर्ण है। विधि विरूद्ध कार्यवाही से आर्थिक मानसिक संताप तथा शारीरिक संताप पहुंचा रहे है। पीठासीन महोदय ने हमारे प्रकरणों में सिविल नेचर मानसिकता ही हटा ली। विधि विरूद्ध कार्यवाही अमल में लानी शुरू कर दी। पत्रावलीयों की कार्यवाही स्टेज जम्प कर विधि सम्बन्ध लगने वाले प्रार्थनापत्रों, प्रोसेस सम्मनों को फेंकना, छिपाना, प्रकट करना, अपने ही आदेश को उलटना, हरबार की पेशियों को लिंगर ऑन करने की/अदम हाजरी में खारिज करने की बगरज से मौका देखते रहते है। पेशियां नजदीक देना अच्छी बात है पर दो वर्ष से प्रकरण सं. 108/2012 में ज्क्त रिपोर्ट तथा इसी के प्रार्थनापत्र (212) में 160/2019 रामदेव/जमना में दो बार रिटर्न बहस देने के पश्चात भी तथा अपर न्यायालय के 30 दिवस का पुनः आदेश–निर्देश होते हुए भी प्रकरण में टीडीआर रिपोर्ट के बाबत अद्य दिवस (अंतिम दिनांक तक) यही लिखकर हमारी साक्ष्य को आगे नहीं बढने दे रहे है। जबकि टीडीआर रिपोर्ट के लिए नायब तहसीलदार साहब न्यायालय में बिराजते है। फर्द अहकाम में कुछ लिखते, मौखिक कुछ करते है जो न्याय की ग्राह्यता में बाधक है। रिपोर्ट व फर्द अहकाम श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। इसी से खिन्न होकर क्योंकि अपर आदेश को धता बताते हुए मुकदमा सं. 160/2019 को बाद पुनः दायर प्रकरण से खारिज कर दिया। नकल प्रार्थनापत्र पेश करने पर नकल नहीं देना, बार–बार घुमाना, बहाने बहाना, उक्त प्रकरण में नकल नहीं देना, प्रार्थनापत्रों को सीधे मनीष बाबू को देना, नायब साहब के द्वारा मार्क के बाद भी

जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थनापत्रों को छिपाना, नकले नहीं देने के कारण श्रीमान के समक्ष अनेकानेक परिवेदनाएं प्रस्तुत की गई। प्रकरण सं. 03/2007 रामकुवार/घीसा में संलग्न प्र.सं. 72/2008 रामचन्द्र/सत्यनारायण में भी वर्षो से टीडीआर रिपोर्ट के लिए लिखते रहे है, तथा मौजूदा पीठासीन अधिकारी भी इसी प्रोसीडिंग से तमाम पेशियां बदलते रहे तथा दिनांक 20.08.2025 को भी वही पेशियां तब्दीली के हिसाब से लिखते की टीडीआर रिपोर्ट मंगवाई जावे। हर कोर्ट दिनांक को सरकार पेशकार की हैसियत से उपस्थित रहते जो टीडीआर रिपोर्ट नहीं मंगवा सकते है। इसी दिन आदेश 26 नियम 9 का प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया कि गे.मु. बाली में तार लगाकर व पक्का निर्माण कार्य कर एक ओर प्राकृतिक बहाव को अवरूद्ध कर रहे है एवं हमारे 1024 के (आ.नम्बर) के बढे हुए हिस्से पर भूमाफिया कब्जा कर रहे का प्रार्थनापत्र न्यायालय में पेश करने पर फेंक देते है जो एस.डी.एम. साहब की आपराधिक मानसिकता है एवं न्याय सुलभ प्रदाता में बाधक रही है। मजह प्रकरण भूमाफिया एवं अन्य कॉलोनियों में तात्कालीन नायब तहसीलदार गोपाल जीनगर साहब एवं एस.डी.एम साहब की हिस्सेदारी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रही है जिससे टीडीआर रिपोर्ट कोसो दूर रही है तथा इस सम्बन्ध में दिनांक 21.08.2025 को फेके गये प्रार्थनापत्र को पुनः रिकॉर्ड पर रखने के लिए आपके द्वारा दिनांक 21.08.2025 को जनसुनवाई में देने पर न तो रेकॉर्ड पर लिया गया है। इस प्रार्थनापत्र में अनेक विरूद्ध की जा रही कार्यवाही का निवेदन किया। आपने लगाये जा रहे प्रार्थनापत्रों को रेकॉर्ड पर रखने का निर्देश होते हुए भी पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई ध्यान नहीं देकर अपना व्यक्तिगत इश्यू बनाकर ऐनकेन प्रकरण वाद को दिनांक 27.10.2025 को वाद द्वय को रिपोर्ट मंगवाने के बजाय आई.एल.आर को बुलाकर कन्ट्रोवर्सी न्यायालय को आदेश दे रहे है। इनको वादीगण, प्रतिवादीगण दोनों को कुछ नहीं दिया जा सकता एवं इसी दिनांक को बिना रिपोर्ट की नकल दिये/बताये हमने एक प्रार्थनापत्र विस्तृत बिन्दुओं के साथ इस आशय के साथ न्यायालय में पेश किया कि हमें आपसे कोई न्याय नहीं चाहिए। फिर उस प्रार्थनापत्र को फेंक दिया जिसका ई–मेल श्रीमान सी.एस. साहब जयपुर को किया गया तथा एस.डी.एम. साहब बनेडा को रजिस्टर्ड ए.डी. से भेजा गया फिर भी बाहरी व्यक्ति से हठधर्मिता के चलते निर्णय प्रतिपादित कर दिया जबकि इसी प्रार्थनापत्र को श्रीमान को भी अपनी परिवेदना के साथ दिया गया(मूल प्रार्थनापत्र) एवं आदेश 26 नियम 9 का प्रार्थनापत्र इजलास से फेंकना एवं गे.मु. बाली पर श्रीकान्त जी व्यास का प्रत्यक्षतः भूमाफियाओं की सांठगांठ से हजारो वर्गफिट देने के आशय से इस प्रकार का निर्णय दिया कि वादी एवं प्रतिवादीगण को लाभ देने के बजाय सीधे तौर पर श्रीकान्त व्यास जी के मिलने वाले भूमाफिया को देना था। न तो वादीगण एवं प्रतिवादीगण को इससे लाभ (न्याय का) दिया बल्कि सीधे तौर पर भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाया गया। कोर्ट में अनऑफीसियल बुलाया गया (भूमाफिया) को तथा इसी प्रकार शेष बचे प्रकरणो में भी टीडीआर रिपोर्ट के बहाने हमारी आराजी व चाह को अन्य को आवंटन के मुकाबले 10 बीघा पर कब्जा करा दिया हैं। जांच के विषय है। अनेकानेक परिवेदनाएं श्रीमान को, सी.एस. साहब को, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दी जो जांच का विषय है। प्रार्थनापत्रों, को फेंकना, नकले नहीं देना, पत्रो को छिपाना, स्वयं को भूमाफियाओं से रसूखदारो के माध्यम से निर्णयों को प्रभावित कर स्वयं को (पीठासीन अधिकारी) लाभान्वित कर हमारे को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक क्षति पहुंचा रहे है जो कि न्याय प्रदाता की श्रेणी में आता नहीं बल्कि आपराधिक वृति का धोतक है।

हस्तगत प्रकरण 57/2022 हस्तु/बंशी में भी सभी को (प्रतिवादीगणों) को सम्मन नोटिस तामिल के बाद भी पुनः मौका देना, फिर सम्मन जारी करना तथा रजिस्टर्ड नोटिस तथा डिलेवर्ड रिपोर्ट लाकर देने पर एकपक्षीय कार्यवाही लाई गयी तथा प्रतिवादी सं. 1/1 जेतू पत्नि बंशी को प्रोसेसर सर्वर द्वारा एवं डाक द्वारा तामील नहीं होने पर मय तलवाना प्रोसेस तथा सम्मन भरकर स्वयं की (वादीगण की) निशादेही पर तामील करवाने के लिए देने पर एस.डी.एम. साहब द्वारा नहीं लेने पर ज्यों का त्यों फार्म सम्मन मार्फत आपको परिवेदना के साथ दूसरे दिन प्र स्तुत किया जाकर पुनः एसडीएम साहब बनेडा को भेजा गया । एसडीएम. साहब हर पत्र पर कलेक्टर साहब द्वारा मार्किंग नहीं होने से निस्तारण के बजाय एक तरफ डालना किस मानसिकता को दर्शाता है? अपनी ही कोर्ट के फैसले को बदलना प्रतिवादी सं. 3 के तुलसीराम का नाम एक बार डिलीट करने पर पुनः कायम मुकाम के लिए मौखिक आदेश से सम्मन तलवाना भरकर देने पर तथा विधि सम्मत तामील प्राप्त के बाद भी फाईल में लगा देते तथा कुछ भी कार्यवाही नहीं कर न्यायिक प्रक्रिया को बाधित कर रहे है। इस हेतु हम न्याय की प्रक्रिया को शीघ्र सम्पन्न करने के लिए शीघ्रता कर रहे, साक्ष्य शुरू करवाना चाह रहे है। सभी पार्टियों के एक्स पार्टी कार्यवाही होनी है सिर्फ प्रतिवादी सं. 02

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

शंकरलाल के वारिसान की ओर से अधिकारपत्र पेश हुआ। संशोधित वाद जवाब चाहते पांच दस पेशियां हो चुकी है पर कोई जवाब पेश करना नही चाह रहे है। केस पुराना होकर हमारी साक्ष्य पेश होनी है। इसी दोरान पार्टियां हमारी आरजी को गलत तरतीब दिये गये नामों की आड में विक्रय कर दिया। रजिस्ट्री केंसल के बाद भी नाम नही काटे जा रहे है। आराजी नम्बर 1262 पर माननीय न्यायालय एडीजे साहब के निर्णय, डिक्री का स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश का दाखला होते हुए भी गोपाल जीनगर साहब के द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा हटाकर अस्थाई निषेधाज्ञा कर दिया क्योंकि स्वयं गोपाल जीनगर तात्कालीन नायब तहसीलदार रायला हमारे पर दबाव बनाकर क्रय करना चाह रहे थे। नहीं देने पर उक्त दाखला को बदल दिया जो रेकॉर्ड में हेराफेरी में होकर नायब तहसीलदार साहब का आपराधिक कृत्य है। जबकि इस आराजी के सम्बन्ध में ही यही वाद है। श्री गोपाल लाल जी द्वारा अन्य कॉलोनियां कोलोनाईजर के कारण स्वयं के व परिजन के द्वारा बनायी जा रही जो अलग जांच का विषय है। पुराना 108/2012 रामदेव/जमना वगैरह को बिना वजह खारिज पक्षकारो की उपस्थिति में किया गया एवं पुनः नम्बर पर लेने तक मूलवाद में पीठासीन अधिकारी द्वारा टीडीआर रिपोर्ट आगामी पेशी दिनांक 01.12.2025 तक वांछित की जो दो तीन वर्ष हो गये। इसका ध्यान कोर्ट में बेठने वाले सरकार के पेरोकार, नायम साहब कोर्ट में मोजूद रहते है फिर भी दो–तीन वर्षो से टीडीआर रिपोर्ट नहीं आई। सिर्फ पीठासीन अधिकारी महोदय एवं तत्कालीन नायब तहसीलदार श्री गोपाल जीनगर का उद्धेश्य प्रार्थीगण के पिता जमना को वर्ष 1983 में आवंटित भूमि (आ.नं. 4091/276) 5 बीघा को हडपकर अपने जातीय मित्र रामदेव को मेरा कुआं एवं जमीन पर 10 बीघा पर जीनगर ने डोर लगवा दी। दोनो अधिकारी की मिलाभगती से रामदेव को 10 बीघा एवं मेरे द्वारा निर्मित कुआ पर तारबंदी करवा दी। वर्षो से प्रकरण में टीडीआर रिपोर्ट मांग रहे है तथा (212 आर.टी.ए) एक्ट के प्रार्थनापत्र से स्थगन नहीं देकर तथा साक्ष्य नहीं होने देना तथा श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी जी का प्रकरण सं. 160/2019 जमना/रामदेव में 30 दिवस में मामले पर निर्णय प्रतिपादित का होने पर भी श्रीमान को उच्च अधिकारियो को इस सम्बन्ध में परिवेदना देने पर भी कोई ध्यान न देकर दिनांक 27.10.2025 को मनमकसूद ढंग से खारिज कर दिया इससे पूर्व अदम हाजरी एवं अब नकल मिलने पर अपील का विषय रहेगा। इस प्रकार मामले को टीडीआर रिपोर्ट न वांछित करना जबकि इन श्रीमान को न्यायहित के बजाय अपने स्वार्थ, इन्टरेस्ट के लिए कुछ ही क्षणो में अपने अधीनस्थों से फर्जी रिपोर्ट बनाकर पेश कर हमें अपीलीय विचारण के टेंशन में डाल रहे है। न्याय में बाधा, हमें लेटिगेशन में डाल रहे है। प्रार्थनापत्रों को फेंकना, गायब करना, नकले नहीं देना(रोकना), उक्त अधिकारिगण के आचरण, व्यवहार न्यायहित में नहीं होने से प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरित करने एवं दोषी अधिकारियो के खिलाफ कार्यवाही फरमायी जाने का निवेदन किया गया।

4– विपक्षी संख्या 01 ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए रिपोर्ट में अंकित किया गया कि– वाद संख्या 57/2022 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53,88,188,187 के तहत अनवान हस्तु पनि स्व० उदा गाली बगैरह बनाम बंशी पिता बालू माली व अन्य वगैरह विचाराधीन होकर आगागी सुनवाई की तारीख 01.12.2025 नियत है। बिन्दु संख्या 01 में 5 प्रकरण लम्बित होना बताया परन्तु उनका कोई विवरण उल्लेखित नहीं है।

5– इस बिन्दु में भी 5 प्रकरण लम्बित होकर सभी में पक्षकार एवं अधिवक्ता समान होते हुए तीन प्रकरणों में आगागी पेशीया दी गई और दो प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारीज किया जाना अंकित किया है। इस बिन्दु में भी प्रकरणों का कोई उल्लेख नहीं किया है। न्यायालय प्रकरणों में विधिवत पक्षकारों को सूचनापत्र जारी कर सुनवाई की जा रही है। यदि नियत तिथि को पक्षकार एवं अधिवक्ता वक्त सुनवाई न्यायालय में हाजिर नहीं होते हैं तो उन्हें सीपीसी के प्रावधानों के तहत अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारीज किए जाने के प्रावधान है। प्रार्थी के द्वारा जो भी इस न्यायालय के सम्बन्ध में इस बिन्दु में अकित किया है वह बेबुनियाद एवं मनगड़त है।

6– इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों को प्रत्येक दिवस की पेशी वाईज कॉज लिस्ट जारी की जाती है तथा जो भी आगामी सुनवाई की तारीख रखी जाती है उसे उस कॉज लिस्ट में अंकित किया जा रहा है। जिसकी ऑनलाईन सूचना सभी अधिवक्ताओं को जारी की जाती है। इस प्रकार इस बिन्दु में जो तथ्य अंकित किए हैं वे बेबुनियाद एवं सनाहित है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

7– यह कि बिन्दु संख्या 4 में जिस तरह से अंकित किया है उनका कोई ठोस आधार नहीं है। सुनवाई के रोज प्रकरण से सम्बन्धित जो भी प्रार्थनापत्र/दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें पीठासीन अधिकारी के द्वारा मार्क करते हुए प्रकरण में रखा जाता है। प्रार्थी के द्वारा इस बिन्दु में अंकित किया कि जिला स्तरीय जनसुनवाई में परिवेदना दी गई जिसे पत्रावली में नहीं लगाया जाता है जो न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध है क्योंकि इस तरह की परिवेदनाएं जो भी प्राप्त होती है उनके सम्बन्ध में अलग से रिपोर्ट तैयार की जाकर श्रीमान को प्रेषित की जाती है क्योंकि परिवेदना/दस्तावेज न्यायिक प्रकरण से सम्बन्धित हो तो उन्हें रिकॉर्ड पर लिया जाकर प्रत्येक प्रार्थनापत्र की प्रति सम्बन्धित अधिवक्ता को दी जाकर उन पर सुनवाई कर निस्तारण करने के प्रावधान सीपीसी में दिए हुए हैं उसी अनुसार आदेश पारित किये जा रहे है। जन सुनवाई में प्रस्तुत परिवेदना को न्यायालय प्रकरण में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी इस तरह के प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अनावश्यक न्यायालय प्रकरणों में दबाव बनाकर अपने पक्ष में निर्णय चाहता है। यहां तक कि प्रार्थी न्यायालय में आता है और अन्य प्रकरण जो वक्त सुनवाई रखे जाते हैं उनमें भी हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जाता है। प्रकरण वर्तमान में तहसीलदार बनेड़ा से मौका रिपोर्ट हेतु लम्बित चल रहा है इसके लिए तहसीलदार बनेड़ा को स्मरण पत्र भी जारी किए जाते रहे हैं। इस तरह इस बिन्दु में जो भी तथ्य अंकित किए हैं वे सभी असत्य होकर बेबुनियाद एवं शनमयुत है। प्रार्थीगण उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरण चाहते हैं तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः प्रार्थीगण के द्वारा की गई शिकायत में वर्णित तथ्य मिथ्या एवं असत्य होकर बेबुनियाद है। प्रार्थीगण न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक दबाव बनाकर प्रकरण में अपने पक्ष में निर्णय चाहता है। प्रार्थीगण सुनवाई के रोज जो अन्य विचाराधीन प्रकरण होते हैं उनमें भी हस्तक्षेप कर न्यायिक कार्य को बाधित किया जाता रहा होने का निवेदन किया गया।

5– **उभयपक्षकारान अधिवक्तागणों ने अपने प्रार्थनापत्र/जवाब/टिप्पणी में वर्णित कथनों को बहस में दोहराते हुए अपनी बहस पूर्ण की। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन एवं मनन किया गया। प्रकरण में न्यायालय का विवचेन इस प्रकार है कि–** प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेडा के न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में अपने प्रार्थनापत्र एवं बहस में जो कथन उल्लेखित किये है, तथा जो आशंकाए अभिव्यक्ति की गई है। संबंधित आशंकाओं के आधार पर विचाराधीन प्रकरण की सुनवाई किसी प्रकार से प्रभावित हो रही है, ऐसा कोई तथ्य पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों पर प्रमाणित नहीं पाया गया है। चूंकि मौजूदा प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेडा द्वारा उक्त प्रकरण में विचारण के सम्बंध में जो कार्यवाही एवं प्रक्रिया जारी है, वह विधि सम्मत होकर उसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात एवं एकपक्षीय झुकाव के तथ्य न्यायालय के संज्ञान में नहीं आये है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र सारहीन, तथ्यहीन होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं ठहरता है। अतएंव –

:: आदेश ::

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मौजूदा प्रार्थनापत्र दिनांक 29.10.2025 खारीज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेडा को निर्देशित किया जाता है कि उनके न्यायालय में सभी विचाराधीन प्रकरणों के संबंध में उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का सुमचित अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण, विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेडा को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे।

उक्त आदेश आज दिनांक 03–12–2025 को लिखवाया जाकर सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार हो।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा